लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2833

18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू उद्योग के लिए आदान सामग्री

2833. श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आदान सामग्रियों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनुप्रवाह उद्योग की घटती प्रतिस्पर्धा के कारण नौकरियों को नुकसान पहुंचा रहा है और कच्चे माल तक पहुंच में बाधक बन रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमएसएमई के लिए बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया बोझिल है और इससे एकाधिकार का सृजन हो रहा है, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को ऐसे कच्चे माल तक निर्बाध पहुंच प्राप्त है;

(ग) क्या भारत ने मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) /धागे पर क्यूसीओ लगाया है, जो ऐसे कच्चे माल के आयात पर गैर-टैरिफ बाधा (एनटीबी) के रूप में कार्य कर रहा है जिससे उनका मुक्त प्रवाह प्रभावित हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप विशेष फाइबर/धागे की किस्मों की कमी हो गई है, जिसका घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिक कामगारों की सहायता करने के लिए, वस्त्र उद्योग को घाटे से बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) सरकार द्वारा मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित और व्यापार प्रथाओं की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उद्योग सहित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद सार्वजनिक हित में बाजार में कुछ उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए नियामक उपाय हैं।

(ख): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन प्रक्रिया सभी घरेलू विनिर्माताओं के विभिन्न पैमाने होने के बावजूद अर्थात् बड़े, मध्यम, लघु और सूक्ष्म विनिर्माता के लिए समान है। तथापि, बीआईएस एमएसएमई क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं को बीआईएस प्रमाणन के अनुपालन में आसानी के लिए कुछ छूट/रियायत देता है। इसके अलावा, लघु और सूक्ष्म उद्यमों के हितों की रक्षा के लिए, वस्त्र मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अनुपालन के लिए विस्तारित समयसीमा, जहाँ भी लागू हो, भी प्रदान करता है।

वस्त्र मंत्रालय ने बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत 76 वस्त्र उत्पादों को अधिसूचित किया है। ये क्यूसीओ घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ बांग्लादेश और वियतनाम सहित उन विदेशी विनिर्माताओं पर भी समान रूप से लागू हैं जो भारत को ऐसी सामग्री निर्यात करना चाहते हैं।

(ग) और (घ): उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने और निम्न गुणवत्ता की सामग्री के आयात को रोकने के लिए; मानव निर्मित फाइबर/यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लगाए जाते हैं। तथापि, भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में अग्रिम अनुमोदन जैसी विशिष्ट योजनाओं के तहत संभावित निर्यात उत्पादन हेतु आयात के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) से छूट उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार वस्त्र उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर वस्त्र क्षेत्र में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करती रहती है, जिसमें गुणवत्ता की समझ, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) आदि शामिल हैं। सरकार ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मानव निर्मित फाइबर और कपास पर वस्त्र सलाहकार समूह का गठन भी किया है।

***